



मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

हाईकोर्ट ने मुस्लिम पुरुष और हिंदू महिला की शादी को बताया गैर-कानूनी

सूर्या बुलेटिन

» प्रेमी जोड़ा स्पेशल नैटिंग एवं के तहत करना चाहता था शादी

गाजियाबाद। मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट ने मुस्लिम पुरुष और हिंदू महिला की शादी को लेकर ऐतिहासिक फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने एक प्रेमी जोड़ा को गैर कानूनी घोषिया है। हाईकोर्ट ने एक प्रेमी जोड़ा को पुलिस सुरक्षा देने से इनकार कर दिया है जो अलग-अलग धर्मों के हैं और स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत शादी करना चाहते थे। कोट का कहना है कि मुस्लिम धर्म के कानून के मुताबिक, एक मुस्लिम लड़के की शादी 'हिंदू' लड़की से नहीं हो सकती। ये शादी 'नाजायज रिश्ता' मानी जाएगी।

ये फैसला तब आया जब अलग-अलग धर्म के बुक्च-युवती ने कोट से पुलिस सुरक्षा की मांग की थी ताकि वो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत शादी करना चाहता था। हाईकोर्ट ने एक प्रेमी जोड़ा को लेकर एक्ट के सामने पेश होने की इच्छा भी मांगी थी। साथ ही उन्होंने कोट से जुराइश की कि लड़की के परिवार को लड़के के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज करने से रोका जाए। इस मामले में कोट ने अपनी शादी रिजिस्टर करवा सकता है कि अगर वे शादी हो भी जाती है तो भी मुस्लिम धर्म के कानून में ये शादी 'प्राप्तिशम' मानी जाएगी, यानी सही मायने में मान्य नहीं होगी। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद एक बार फिर से ये सवाल खड़ा हो गया है कि व्याचिकारकों द्वारा रहेगी, जबकि व्याचिकारकों को अपनी मर्जी से शादी करने का हक है या नहीं।

ये है पूरा मानना

मध्य प्रदेश के अनुपुण्य जिले में 23 साल की सारिका सेन और सफी खान नाम के एक प्रेमी जोड़े ने अप्रैल 2024 में कोट का रुख किया था। दोनों का कहना है कि वो एक-दूसरे से प्यार करते हैं। उन्होंने स्पेशल मैरिज

भारत में कानूनी तौर पर शादी को कैसे दी जाती है मान्यता

एक के तहत शादी करने के लिए मैरिज ऑफिसर के सामने पेश होने की कोशिश की थी, लेकिन लड़कों के परिवार के विरोध की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाए थे। उन्होंने अपनी व्याचिका में बताया कि इस वजह से उनको शादी रिजिस्टर करना चाहता है। हाईकोर्ट ने एक प्रेमी जोड़ा को लेकर एक्ट 1954 के तहत रिजिस्टर कराया जा सकता है। यह न्यायालिका का कर्तव्य है कि पति और पत्नी दोनों के अधिकारों की शादी को। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 भारत की संसद का एक अधिनियम है, जो भारत के लोगों और विदेशी में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों के लिए उनकी धर्म या आस्ता की परवाह किए बिना सिविल मैरिज (या रिजिस्टर्ड मैरिज) का प्रावधान करता है।

को खारिज करते हुए सुरीम कर्ट के एक फैसले का बहाला दिया। जिसने ये शादी किए जाएँ तो नहीं कह रहा है कि अगर शादी नहीं हो पाती है तो वो लोग लिव-इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। ये लड़की ये भी नहीं कह रही है कि व्याचिकारकों सारिका सेन अपने हिंदू धर्म का पालन करती रहेगी, जबकि व्याचिकारकों परवाह किए बिना सिविल मैरिज का प्रावधान करता है।

इस नए कानून के तीन मुख्य उद्देश्य थे

कुछ मामलों में शादी का एक खास की इस्लाम धर्म कबूल करने की कोई मंशा नहीं है। प्रेमी जोड़े के वकील ने दलील दी कि स्पेशल मैरिज एक्ट, पर्सनल लॉ से ऊपर होता है। इसलिए एक मुस्लिम लड़के और हिंदू लड़की की शादी को गलत नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन हाईकोर्ट ने इस फैसले के बाद एक वार फिर से ये सवाल खड़ा हो गया है कि व्याचिकारकों को अपनी मर्जी से शादी करने का हक है या नहीं।

कुछ शादियों के रजिस्ट्रेशन का



प्रावधान करता: इसका मतलब था कि सभी शादियों का एक सरकारी रिकार्ड हो, जो वो किसी भी धर्म या जाति के बीच हुई है।

तलाक का प्रावधान करना: यानी अगर कोई शादी दूट जाए, तो उसके लिए उन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। ये लड़की ये भी नहीं कह रही है कि वो मुस्लिम धर्म अपना लेंगी।

स्पेशल नैटिंग एक्ट 1954

किस पर लागू होता है

इस एक्ट के तहत शादी करने के लिए किसी खास धर्म का होना जरूरी नहीं है। कोई भी दो व्यक्ति, जो कानूनी रूप से शादी के बोध हों, इस एक्ट के तहत नहीं हो सकती, उन्हें शादी करने का एक कानूनी रसाया दिया जाता है।

इस एक्ट के अनुसार लेकिन एक खास धर्म के साथ विवाह कर सकता है। अमर एवं विदेश में रहने वाले लोग या जिनका विवाह करना चाहता है, उन्हें शादी करने के लिए ही नहीं है। अगर एक ही धर्म के लोग भी अपने

पर्सनल लॉ के तहत शादी नहीं करना चाहते, तो वे भी इस एक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अमर दोनों शादी करने के बीच हुई है।

वालक का प्रावधान करना: यानी अगर कोई शादी दूट जाए, तो उसके लिए कानूनी तरीका देता है। वह शादी जिसमें कुछ कठिन परिय नियमों का उल्लंघन होता है तो उसे 'सिर्फ' उपरिक्त विवाह करता है। लेकिन शादी भारत में हो रही है तो भी इस एक्ट के बाद योग्य होता है।

(फासिद), और शून्य विवाह (बातिल)। किसी देवता या अग्नि पूजा के साथ विवाह शून्य या वाले भारतीय हैं और विदेश में रह रहे हैं, तो वे भी इस एक्ट के तहत शादी कर सकते हैं। वह शादी जिसमें कुछ कठिन परिय नियमों का उल्लंघन होता है तो उसे 'अनियमित' या 'फासिद' कहता है।

हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार एक मुस्लिम पुरुष ने केवल एक मुस्लिम महिला के साथ, बल्कि एक टिकिया के साथ विवाह कर सकता है। अमर दोनों शादी असंगीन होती है। अगर कोई शादी सिर्फ इसका गलत होती है तो यह धर्म के अन्यान्य खास धर्मों में जरूरी होती है। ये कानून उन शादियों पर भी होता है जो अगर योग्य होती है।

किया गया हो। ऐसी शादी को अनियमित या अमान्य इसलिए कहा जाता है कि व्याचिकारकों द्वारा जारी रखी जाएगी। इसलिए अमान्य इसलिए मैरिज एक्ट (एसएमए) के तहत वैध नहीं किया जा सकता क्योंकि इसका उपरिक्त विवाह करते हैं।

हाईकोर्ट ने कहा कि हिंदू महिला का धर्म परिवर्तन करने का कोई इरादा नहीं हो सकती और ऐसे प्रेषण मैरिज एक्ट के तहत रिजिस्टर करना चाहिया है। ये शादी अपनी मर्जी से किसी भी धर्म के अन्यान्य खास धर्मों में जरूरी होती है।

हाईकोर्ट ने कहा कि हिंदू महिला का धर्म परिवर्तन करने का कोई इरादा नहीं हो सकती और ऐसे प्रेषण मैरिज एक्ट के तहत रिजिस्टर करना चाहिया है। ये शादी अपनी मर्जी से किसी भी धर्म के अन्यान्य खास धर्मों में जरूरी होती है।

क्या प्रेमी जोड़े के मामले में शादी वैध मानी जा सकती है

मुस्लिम कानून के तहत, शादी को एक तरह का समझौता माना जाता है। ये जिसमें एक व्यक्ति जो कानूनी रूप से शादी के बोध हो, उन्हें शादी कर सकते हैं। व्यक्ति जिसमें कुछ कठिन परिय होती है तो उसका विवाह वैध हो सकता है। अमर एवं विदेश में जरूरी होती है।

मुस्लिम कानून के अन्यान्य खास धर्मों में जरूरी होती है।

मुस्लिम कानून के अन्यान्य खास धर्मों में जरूरी होती है।

मुस्लिम कानून के अन्यान्य खास धर्मों में जरूरी होती है।

मुस्लिम कानून के अन्यान्य खास धर्मों में जरूरी होती है।

मुस्लिम कानून के अन्यान्य खास धर्मों में जरूरी होती है।

मुस्लिम कानून के अन्यान्य खास धर्मों में जरूरी होती है।

मुस्लिम कानून के अन्यान्य खास धर्मों में जरूरी होती है।

मुस्लिम कानून के अन्यान्य खास धर्मों में जरूरी होती है।

मुस्लिम कानून के अन्यान्य खास धर्मों में जरूरी होती है।

मुस्लिम कानून के अन्यान्य खास धर्मों में जरूरी होती है।

मुस्लिम कानून के अन्यान्य खास धर्मों में जरूरी होती है।

मुस्लिम कानून के अन्यान्य खास धर्मों में जरूरी होती है।

मुस्लिम कानून के अन्यान्य खास धर्मों में जरूरी होती है।


मुस्लिम कानून के अन्यान्य खास धर्मों में जरूरी होती है।

मुस्लिम कानून के अन्यान्य खास धर्मों में जरूरी होती है।

मुस्लिम कानून के अन्यान्य खास धर्मों में जरूरी होती है।

मुस्लिम कानून के अन्यान्य खास धर्मों में जरूरी होती है।

मुस्लिम कानून के अन्यान्य खास धर्मों में जरूरी होती है।



नीट रिजल्ट से 23 लाख छात्रों का भविष्य दाव पर 67 छात्रों को मिले पूर्णक, कई दाज्यों में विदेश

सूर्या बुलेटिन

गाजियाबाद। नेशनल पर्लिजिविलिटी कम एप्टीस टेस्ट यानी नीट के रिजल्ट विवादों से चिर गया है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। 23 लाख छात्रों को परीक्षा परिणाम पर भरोसा नहीं है। 4 जून को जब देश का नसीब इनीष्यम और बैलेट बॉक्स में पड़े थे वोटों की गणित से नियारित हो रहा था, तब उसी वक्त दूसरी ओर इन छात्रों का नसीब भी आप्समआर शीट के अधिकार पर तैयार हो रहा था। लेकिन इनीष्यम औप्समआर शीट की जांच, दोनों की सख्ती और उन्हें मिले 100 परिणाम नंबरों की वजह से 23 लाख छात्रों के भविष्य पर प्रश्नावाचक चिन्ह लग गया है।

नेशनल पर्लिजिविलिटी कम एप्टीस टेस्ट यानी नीट के इन बार की परीक्षा में 67 छात्रों ने तेज़ पहला स्थान हासिल हुआ है। यानी उन्हें पूरे 100 परीक्षार्दी नंबर मिले हैं। 17 अप्रैल से 720 सबसे बड़ी बात कि टाप करने वाले 67 बच्चों में से 6 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एक ही परीक्षा केंद्र पर परीक्षा दी है, जो कि हरियाणा के झज्जर में है। वहीं इस परीक्षा में कुछ बच्चों के नंबर तक 718 और 719 नंबर मिले हैं। इसके अलावा सबाल इस बात पर भी उत्तर हावे हैं कि जब नीट के रिजल्ट 14 जून को घोषित किया गया था तो इसे 4 जून को घोषित किया गया ? क्या ऐसा जान बूझ कर इसलिए किया गया था ताकि लोगों का ध्यान चुनाव के परिणामों पर टिका रहे और नीट के रिजल्ट पर कोई बात नहीं है ? ये बड़े सबाल हैं, जिनका जबाब शब्द भविष्य में मिल जाएगा।

ओएमआर शीट की गलत जांच

ये मामला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सामने आया है। यहां की रहने वाली निशिता सोनी ने जब अनाना रिजल्ट देखा तो वो हैरान रह गई और उन्हें 340 नंबर मिले थे जबकि, निशिता का दावा है कि उन्हें 167 अंक मिलने चाहे थे। उस वक्त पर एसएसी राजीव मिश्र ने कहा था कि पैपर लीक थी यहां या नहीं ये संवेदनशील विषय है। इस समय इस पर निकष्ट देना सही नहीं होगा, योगियि 24 लाख परीक्षार्थियों के भविष्य से जुड़ा अतिरिक्त रूप से बिल्कुल भी मुमुक्षिन नहीं है।

दरअसल, इस परीक्षा में एक सबाल सही होने पर छात्र को 4 अंक मिलते हैं। वहीं किसी सबाल का गलत जबाब देने पर मिलते हैं। अंकों में से एक अंक काट लिया जाता है। अब अनाना ओप्समआर शीट चेक किया तो वो पता करता है कि उसने कुल 200 सबालों में से 178 सबालों का जबाब दिया था। अब निशिता इस मामले को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में जबाब दिया जाएगा।